

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 232]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 जून 2014—ज्येष्ठ 15, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. डी-15-3-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, (क्रमांक 24 सन् 1973), की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-3-2013-चौदह-3, दिनांक 28 जून 2013 के द्वारा राज्य सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज का सिवनी जिले की तहसील केवलारी के राजस्व सर्किल में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये ग्राम पलारी में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

अतएव कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में सिवनी जिले की तहसील केवलारी के राजस्व सर्किल में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये ग्राम पलारी में मंडी स्थापित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. डी-15-3-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव,

Bhopal, the 5th June 2014

No. D-15-3-2014-XIV-3.—WHEREAS, vide this department Notification No. D-15-3-2013-XIV-3 dated 28th June 2013 issued under the provision of the sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, (No. 24 of 1973), the State Government had declared its intention to establish a market at Gram Palaris for regulating the purpose and sale of the agricultural produce mentioned in the schedule of the said Act, including all revenue and forest villages of the area of Keolari Tehsil of Seoni district.

Now, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972, (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares its intention to establish a market at Palari for regulating the purchase and sale of agricultural produce mentioned in the schedule of the said Act, including all revenue and forest villages of the area of Keolari Tehsil of Seoni district.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. डी-15-3-2014-चौदह-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1960 (19 सन् 1960) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-11-86-चौदह-3 (ए), दिनांक 31 मई 1988 द्वारा सिवनी जिले की केवलारी तहसील के क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात् “उक्त मंडी क्षेत्र” के नाम से निर्दिष्ट है) उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था।

और, चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 के उपधारा (1) के खण्ड (तीन) और उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-3-2013-चौदह-3, दिनांक 28 जून 2013 द्वारा सिवनी जिले की तहसील केवलारी के ग्राम पलारी के ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है) को विपाठित करके “उक्त मंडी क्षेत्र” की सीमाओं में परिवर्तन करने का अपना आशय प्रगट किया था।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा “उक्त मंडी क्षेत्र” में “उक्त क्षेत्र” को विपाठित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. डी-15-3-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 5th June 2014

No. D-15-3-2014-XIV-3.—WHEREAS, by this department Notification No. D-15-11-86-XIV-3 (A) Dated 31st May 1988 issued under the Section 3 of sub-section (1) of the Madhya Pradesh Agricultural produce market Act, 1960 (19 of 1960) the State Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said notification in the area of Keolari Tehsil of Seoni District (here in after referred to as the “said market area.”).

AND, WHEREAS, by this department Notification No. D-15-3-2013-XIV-3 dated 28 June, 2013 issued under the provision of clause (iii) of sub-section (1) and sub-section (2) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by signifies its intention to alter the limit of the “said market area” by splitting up herewith the area comprising of Revenue circle of Palari in Tehsil of Keolari of the Seoni District (here in after referred to as the “said area”).

Now THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (c) of subsection (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by singifies its intention to alter the limit of the said market area by splitting up as per the “said area”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. डी-15-3-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, (24 सन् 1973), की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 जून 2014 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति पलारी के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है:—

स्थान

ग्राम पंचायत पलारी, तहसील केवलारी, जिला सिवनी के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 6.000 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	शासकीय भूमि के 61/2, 119, 120, 121, 128 में से	5.220
2	निजी भूमि के 55/3, 118, 125, 128 में से	0.780
	कुल योग . .	6.000

जिसकी सीमाएं

- उत्तर में—लोक निर्माण विभाग रोड एवं खसरा नम्बर 55 और 61 की भूमि.
- दक्षिण में—सागर नदी खसरा नम्बर 113, 112 की भूमि.
- पूर्व में—पलारी कहानी रोड.
- पश्चिम में—पलारी भीमगढ़ रोड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. डी-15-3-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 5th June 2014

No. D-15-3-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Palari has been established by this department's Notification even No. dated 5 June 2014 shall be market yard namely:—

PLACE

An area of 6.000 Hectare land of bellow mentioned Khasra number at Gram Panchayat Palari in Tehsil Kevlari of District Seoni:—

S. No. (1)	Khasra No. (2)	Area (In Hectare) (3)
1	Govt. Land of 61/2, 119, 120, 121, 128.	5.220
2	Private land of 55/3, 118, 125, 128	0.780
	All Total . .	6.000

BOUNDED BY

On the North by—P. W. D. Road and Land of Khasra No. 55 and 61.

On the South by—Sagar River Land of Khasra No. 113 and 112.

On the East by—Palari Kahani Road.

On the West by—Palari-Bhimgarh Road.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. डी-15-3-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, (24 सन् 1973), की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतदद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 जून 2014 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति पलारी जिला सिवनी के निम्नलिखित क्षेत्र को मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

(1) ग्राम पंचायत पलारी, तहसील केवलारी, जिला सिवनी की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—

(1) पलारी (2) मेरा (3) खैरा (4) रोशन (5) चांवरवारा (6) बिछुआ (7) लोपा (8) मालहनवाड़ा (9) कंडीपार
(10) खरी (11) पिपरिया (12) सांठई (13) मैनापिपरिया (14) घंसौर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. डी-15-3-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 5th June 2014

No. D-15-3-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krish Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market Yard vide this department Notification even Number dated 5 June 2014 the following area of Palari of district Seoni shall be market yard namely:—

AREA

(1) An area within the limit of Gram Panchayat Palari in Tehsil Kevlari of District Seoni.

(2) An Area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the Mandi market yard namely:—

(1) Palari (2) Mera (3) Khaira (4) Roshan (5) Chavarwara (6) Bichhua (7) Lopa (8) Mahalnwada
(9) Kandipar (10) Khari (11) Pipariya (12) Santhai (13) Mainapupariya (14) Ghansour..

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.